रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-222001
CG-DL-E-25092020-222001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] **नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942**
No. 263] **NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

मामला संख्याः (एसएसआर) - 17/2020

विषय: चीन जन. गण. से ग्लास फाइबर तथा उसकी वस्तुओं के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/34/2020-डीजीटीआर.—1. ओवेन्स कॉर्निंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड तथा ओवेन्स- कॉर्निंग इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे **"संबद्ध देश"** भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " ग्लास फाइबर तथा उसकी वस्तुओं" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और उन्होंने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच दिनांक 8 जनवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 14/28/2009-डीजीएडी के माध्यम से शुरू की थी । प्राधिकारी ने दिनांक 2 जून, 2010 की अधिसूचना सं. 14/28/2009-डीजीएडी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए थे, जिनमें संबद्ध देश से ग्लास फाइबर तथा उसकी वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी । दिनांक 14 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. 75/2010-सीमाशुल्क के माध्यम से संबद्ध वस्तु पर अनंतिम शुल्क लगाया गया था । प्राधिकारी ने दिनांक 6 जनवरी, 2011 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/28/2009-डीजीएडी के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की । दिनांक 4 मार्च, 2011 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 30/2011-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

4. प्राधिकारी ने दिनांक 7 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. 15/10/2015-डीजीएडी द्वारा पहली निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी और जांच संचालित की थी । तत्पश्चात प्राधिकारी ने दिनांक 6 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 15/10/2015-डीजीएडी के माध्यम से चीन जन.गण. से ग्लास फाइबर तथा उसकी वस्तुओं के आयातों पर निश्यात्मक पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाई थी । उसे दिनांक 1 सितंबर, 2016 की अधिसूचना सं. 48/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था । वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को 31 अगस्त, 2021 तक समाप्त होना है ।

संबद्ध देश

5. यह जांच एक निर्णायक समीक्षा है, इसलिए संबद्ध देश का दायरा मूल जांच/पहली निर्णायक समीक्षा में संबद्ध देश अर्थात चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के विरूद्ध तक सीमित है ।

विचाराधीन उत्पाद

6. वर्तमान एसएसआर आवेदन में विचाराधीन उत्पाद वही है जिसे पहली निर्णायक समीक्षा जांच में निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

ग्लास फाइबल जिसमें ग्लास रोविग (एसेम्बल्ड रोविंग (एआर), डायरेक्ट रोविंग (डीआर)), ग्लास चॉप्ड स्ट्रेंड (सीएस), ग्लास चोप्ड स्टेंड्स मैट (सीएसएम) शामिल हैं । ग्लास वूल, फाइबर ग्लास वूल, वूल के रूप में फाइबर ग्लास इंशुलेशन, ग्लास यार्न, ग्लास वूवन फैब्रिक, ग्लास फाइबर फैब्रिक, ग्वास वूवन रोविंग्स, थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए चॉप्ड स्ट्रैंड्स, 0.3 से 2.5 माइक्रोन के बीच फाइबर व्यास वाले माइक्रोग्लास फाइबर सरफेस मैट/सरफेस व्हील/टिश्यू, वैट चॉप्ट स्ट्रेड्स और सेम्फिल (कंक्रीट रीइनफोर्समेंट के लिए अल्कलीरोधी ग्लास फाइबर) विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर हैं ।

7. वर्तमान दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद पूर्ववर्ती समीक्षा जांच के समान ही रहेगा । संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 में उपशीर्ष सं. 7019 के अंतर्गत आती है । तथापि, सीमाशुलक वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।

समान वस्तु

8. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है । तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, पाटित आयातों के कार्य और अंतिम प्रयोग तथा आवेदकों द्वारा विनिर्मित विचराधीन उत्पाद के बीच कोई अंतर नहीं है । ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए । अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में भागीदार कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वसतु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)

9. आवेदक ने जांच के प्रयोजनार्थ विभिन्न उत्पाद किस्मों की उत्पादन लागत में अंतर पर विचार करने के लिए पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया है जो निम्नानुसार है :

क. डायरेक्ट ग्लास रोविंग्स

ख. एसेम्बल्ड ग्लास चोप्ड स्ट्रेंड्स

ग. ग्लास चोप्ड स्ट्रेंड्स

घ. ग्लास चोप्ड स्ट्रेंड्स मैट्स

10. हितबद्ध पक्षकार पैरा 25 में उल्लिखित समय सीमा के अनुसार प्रस्तावित पीसीएन प्रणाली की उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में अपने अनुरोध कर सकते हैं।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

11. यह आवेदन ओवेन्स कॉर्निंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड तथा ओवेन्स- कॉर्निंग इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने बताया है कि ओवेन्स कॉर्निंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश में संबंधित कंपनियों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। तथापि, जांच अवधि में कोई आयाति नहीं किए गए है। इसके अलावा आवेदक ने बताया है कि आयातों की मात्रा संबद्ध आयातों, देश में मांग और घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री की तुलना में नगण्य है।

12. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक का उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। उपर्युक्त के मद्देनजर और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) में दिए गए उपबंधों के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार मापदंडों को पूरा करता है।

पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आधार

i. सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। आवेदक द्वारा यह बताया गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागतें और कीमत सूचना बाजार चालित हैं तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने दावा किया है कि वे चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु किसी उचित तीसरे देश की पहचान नहीं कर पाए हैं, अत: सामान्य मूल्य को भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य, प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ को विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर परिकलित किया गया है।

ii. निर्यात कीमत

14. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय मालभाड़ा व्यय और कमीशन हेतु समायोजन किए गए हैं।

iii. पाटन मार्जिन

15. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्याति कीमत पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 9 क (1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना तथा कारणात्मक संबंध

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों की समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत न्यूनीकरण और ह्रासकारी प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को

परिणामी क्षति के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग की क्षतिकारी कीमत पर वृद्धि के परिणामस्वरूप बिक्री, बाजार हिस्सा और परिणामी घाटा, नकद घाटा और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट के संबंध में उनका कार्य निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके अलावा, आवेदकों ने निरंतर पाटन, लागू शुल्क के बावजूद आयातों में वृद्धि, भारत में मांग में वृद्धि की तुलना में आयातों में वृद्धि की उच्च दर, आयातों की कीमतों में गिरावट, संबद्ध देश में उत्पादकों की अधिशेष क्षमता, आयातों की क्षतिकारी कीमत और शुल्क समाप्ति के संभावित प्रभाव के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है जो प्रथम दृष्टया पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने पर निरंतर पाटन और परिणामी क्षति की संभावना को दर्शाती है।

निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

17. आवेदकों के विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और नियमावली के नियम के 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग की क्षति को जारी रखने को सही सिद्ध करने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

18. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (जिसे यहां आगे "पीओआई" भी कहा गया है) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की होगी और क्षति अवधि में 1 अप्रैल, 2016 - 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 – 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल - 2018 – 31 मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी। प्राधिकारी संभावना विश्लेषण करने के लिए यथाआवश्यक समझे गए पीओआई के बाद के आंकड़ों पर भी विचार कर सकते हैं।

प्रक्रिया

19. इस समीक्षा में दिनांक 6 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 15/10/2015-डीजीएडी के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम जिनमें चीन जन गण से ग्लास फाइबर और उसकी वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, के सभी पहलू शामिल होंगे। प्राधिकारी पाटन और क्षति की संभावना का यथाअपेक्षित विश्लेषण भी करेंगे।

20. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ वर्तमान जांच पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

21. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in, dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

22. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर उपर्युक्त पैराग्राफ 21 में यथाउल्लिखित ई-मेल पतों पर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीइतर ईमेल पतों adg11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in, dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डी जी टी आर की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें ।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है । इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।

29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

30. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

36. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बिद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

Case No. (SSR) 17/2020

Subject: Initiation of sunset review investigation concerning imports of Glass Fibre and articles thereof from China PR

F. No. 7/34/2020-DGTR.—1. Owens-Corning (India) Private Limited and Owens-Corning Industries (India) Private Limited (hereinafter referred to as the "Applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules") for sunset review investigation of anti-dumping duty concerning the imports of Glass Fibre and articles thereof (hereinafter referred as the "product under consideration" or "subject goods"), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

2. The Applicants have alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the import of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Background

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 14/28/2009 – DGAD dated 8th January 2010. The Authority notified preliminary findings vide Notification No. 14/28/2009 – DGAD dated 2nd June 2010, recommending provisional anti-dumping duty on the imports of Glass Fibre and articles thereof from the subject country. The provisional duties were imposed on subject goods vide Notification No. 75/2010 - Customs dated 14th July 2010. The Authority notified final findings vide Notification No. 14/28/2009 – DGAD dated 6th January 2011, recommending definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from subject country. The definitive anti-dumping duty was imposed on subject goods vide Customs Notification No. 30/2011 – Customs dated 4th March 2011.

4. The Authority initiated 1st sunset review investigation vide Notification No. 15/10/2015 – DGAD dated 7th July 2015 and conducted the investigation. The Authority thereafter extended the definitive anti-dumping duty vide Notification No. 15/10/2015 – DGAD dated 6th July 2016 on imports of Glass Fibre and articles thereof from China PR. The same was imposed vide Notification No. 48/2016 – Customs (ADD) dated 1st September 2016. The current anti-dumping duty is said to expire on 31st August 2021.

Subject Country

5. The investigation being a sunset review, the scope of the subject country is confined to the subject country in the original investigation/1st sunset review i.e. against the subject goods originating in or exported from China PR.

Product under consideration

6. The product under consideration in the present SSR application is same as defined in the 1st sunset review investigation which is as follows:

'Glass fibre, including glass roving (assembled rovings (AR), direct rovings (DR)), glass chopped strands (CS), glass chopped strands mats (CSM). Specifically excluded from the scope of the product under consideration are glass wool, fibre glass wool, fibre glass insulation in wool form, glass yarn, glass woven fabrics, glass fibre fabric, glass woven rovings, chopped strands meant for thermoplastic applications, micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns, surface mat/surface veil/tissue, wet chopped strands and Cemfil (alkali resistant glass fibre for concrete reinforcement)'.

7. The present investigation being 2nd sunset review investigation, the product under consideration remains the same as in the previous review investigation. The subject goods fall under Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975 under the Subheading No.7019.However, the customs classification is indicative only and is no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

8. The Applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the product under consideration manufactured by the Applicants. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the participating companies in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Product Control Number (PCN)

9. The applicant has proposed PCN Methodology for the purpose of the investigation, considering difference in the cost of production of different product types as given under:

a. Direct glass rovings

b. Assembled glass rovings

c. Glass chopped strands

d. Glass chopped strand mats

10. The interested parties may make their submissions with regard to appropriateness or otherwise of the proposed PCN system as per the timelines mentioned in Para 25.

Domestic industry & standing

11. The application has been filed by Owens-Corning (India) Private Limited and Owens-Corning Industries (India) Private Limited.The Applicants have submitted that Owens-Corning (India) Private Limited has imported subject goods from related entities in the subject country during the injury period, however, no imports have been made in the period of investigation. Further, the Applicants have submitted that the volume of imports made is negligible as compared to subject imports, demand in country and production and sale of the domestic industry.

12. Considering the information on record, the Applicants account for major proportion of the Indian production. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicants constitute eligible domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2(b) and the application satisfies criteria in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Basis of likelihood of continuation or recurrence of dumping

i. Normal value

13. The Applicants have cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The Applicants have claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the production and sale of the product under consideration. It has been stated by the Applicants that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 Annexure- I. The Applicants have claimed that they were not able to identify any appropriate third country to determine normal value for China PR. Hence, the normal value has been constructed on the basis of cost of production in India, duly adjusting selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

ii. Export Price

14. The Authority has computed the export price for the subject country based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland freight and commission.

iii. Dumping Margin

15. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9A(1)(a) of the Act. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Likelihood of continuation or recurrence of injury and causal link

16. The Authority notes that there is prime facie evidence of dumping and consequential injury to the domestic industry on account of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, and price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The Applicants have claimed that their performance have been adversely impacted in respect of decline in sales, market share and consequent losses, cash losses and decline in return on capital employed, as a result of increase in imports of product under consideration at an injurious price for the domestic industry. Further, the information provided by the Applicants regarding continued dumping, increased imports inspite of duties imposed, higher rate of increase in imports than rate of increase in demand in India, decline in prices of imports, surplus capacity of producers in the subject country, injurious prices of imports and likely effect of cessation of duty also prime facie indicates a likelihood of continued dumping and consequential injury on cessation of the anti-dumping duty.

Initiation of Sunset Review

17. On the basis of the duly substantiated application of the Applicants, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation of dumping and continued injury to the domestic industry, in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a sunset review investigation to review the need for continuation of the duties in force in respect of subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

Period of Investigation (POI)

18. The Period of Investigation (hereinafter also referred to as "POI") for the present investigation is 1st April 2019 to 31st March 2020 and the injury period will cover the periods 1st April 2016- 31st March 2017, 1st April 2017- 31st March 2018, 1st April 2018- 31st March 2019 and the POI. The Authority may, also, consider post-POI data, as considered necessary to undertake the likelihood analysis.

Procedure

19. The review will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 15/10/2015 – DGAD dated 6th July 2016, recommending imposition of anti-dumping duty on imports of "Glass Fibre and articles thereof" from China PR. The Authority would also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.

20. Principles as given in Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra will be followed for the present investigation.

Submission of Information

21. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in, dd17-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.

22. The known exporters, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on email address mentioned in paragraph 21 above.

24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-Limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the email addresses adg11adg11-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in, dd17-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

27. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR i.e. www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

Submission of information on confidential basis

28. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

29. The parties making any submission (including Appendices/Annexes attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

30. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

36. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

37. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.25 22:59:03 +05'30'